पत्रिका

सीबीआई ने पूछताछ कर कोर्ट में पेश किया

मान्यता और सीटें बढ़ाने के नाम पर 55 लाख की रिश्वतखोरी करने वाले 6 आरोपी जेल गए

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एसआरआईएमएसआर) को मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने के नाम पर 55 लाख की रिश्वत लेने वाले 6 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। इसकी अवधि पूरी होने पर 21 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में कर्नाटक स्थित मंड्या इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रोफेसर डॉ. मंजुप्पा सीएन, डॉ चैत्रा एमएस डॉ अशोक शेलके, रावतपुरा सरकार के निदेशक अतुल कुमार, ए सतीश और के रविचंद्र को पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई के लोक अभियोजक ने बताया कि उक्त सभी को 1 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। एसआरआईएमएसआर को मान्यता दिलाने और सीटें बढ़ाने के नाम पर 55 लाख की रिश्वत का लेनदेन हुआ था। प्राथमिक जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। इसमें रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज संचालक (चेयरमैन) रविशंकर महाराज सहित 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। 29 अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने जांच एजेंसी द्वारा रिमांड के लिए आवेदन नहीं लगाने पर कोर्ट में पेश किए गए आरोपियों को जेल भेजने का आदेश

सिंडीकेट में 7 राज्यों के 36 डॉक्टर

रिश्वतखोरी के इस खेल में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित 7 राज्यों के 36 डॉक्टर और अधिकारी शामिल है।
एसआरआईएमएसआर, बैंगलुरू और अन्य ठिकानों में छापेमारी के दौरान तलाशी में दस्तावेजी और डिजीटल एविडेंस मिले है। इस खेल में हवाला और ऑनलाइन रिश्वतखोरी होती थी। पूछताछ में उन्हें अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके संबंध में जांच चल रही है।